संख्या-05/2026/I/1282844/38-4002(003)/1/2024

प्रेषक,

अमर चन्द्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2026

विषय:- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(पी.एम.-जनमन) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-272/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0जनमनयो0-ग्रा(81)/2026, दिनांक-25.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम.-जनमन) के अन्तर्गत भारत सरकार से एक किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश (Release of Payment as single installment of Central Assistance for the Financial Year 2025-26) रूपये 17.60 लाख के सापेक्ष रूपये 17.57 लाख एवं आवश्यक राज्यांश रूपये 7.04 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक 2025-26 के अनुदान संख्या-81 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से करते हुए केन्द्रांश रूपये 17.60 लाख (रूपये सत्रह लाख साठ हजार मात्र) एवं आवश्यक राज्यांश रूपये 7.04 लाख (रूपये सात लाख चार हजार मात्र), कुल धनराशि रूपये 24.64 लाख (रूपये चौबीस लाख चौंसठ हजार मात्र), वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 से आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध:-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी एवं उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/योजना के दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रुप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रेतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(10) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(11) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(12) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातें में अन्तरित की जायेगी।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-J-12036/1/2024-RH-Accts(388482), दिनांक-20.03.2026 में अंकित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(14) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(17) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(18) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

2- इस संबंध में केन्द्रांश में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(पी.एम.-जनमन)(के.60/रा.40-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अन्तर्गत एवं राज्यांश में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8903-प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(पी.एम.-जनमन)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0संख्या-RE-budget-1-747-E-2-267-X-2025-26, दिनांक-27.03.2026 एवं अशासकीय संख्या-E-2-269-X-2025-26, दिनांक-29.03.2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-BM-09 प्रपत्र।

भवदीय,
अमर चन्द्र,
उप सचिव।

संख्या-05/2026/I/1282844(1),तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) निदेशक (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(6) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) बजट प्रकोष्ठ अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0स0) अनुभाग।
(12) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(13) श्री चन्द्रिका प्रसाद, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र,
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in